न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध आवेदन सं. 56/2023

प्रार्थी–
उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री इकबाल खान पुत्र श्री अब्बास खान जाति मुसलमान निवासी स्वामी की ढाणी तहसील फलसुण्ड जिला जैसलमेर (वाहन चालक) एवं श्री खेते खान पुत्र श्री राणे खान (खलासी)
2. श्री हमीद खान पुत्र श्री अदरीम खान जाति मुसलमान गावं/पोस्ट राजमथाई तहसील भणियाना जिला जैसलमेर (वाहन चालक) एवं श्री मजीद खान पुत्र श्री अकबर खान (खलासी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सोमू खान मंगलिया अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 12.10.2023 को दो ट्रक क्रमशः ट्रक संख्या DD 01 E 9398 के वाहन चालक श्री इकबाल खान पुत्र श्री अब्बास खान एवं खलासी श्री खेते खान पुत्र श्री राणे खान द्वारा अवैध रूप से डीएपी उर्वरक आईपीएल ब्रांड के 350 [illegible] 4150 के वाहन चालक श्री हमीद खान पुत्र श्री अदरीम खान [illegible] श्री मजीद खान पुत्र श्री अकबर खान द्वारा अवैध [illegible] ब्रांड के 500 बैंग परिवहन करते थानाधिकारी, गुड़ामालानी [illegible] गांधव पुलिस चैक[illegible] पर ट्रको को रूकवाकर डिटेन किये हुए थे। [illegible]पश्चात् श्रीमान संयुक्त [illegible]शक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कृषि (वि.) जि.प. बाड़मेर के आदेशानुसार कमेटी का गठन किया गया जिसमें श्री सीताराम बैरवा, कृषि अधिकारी (फसल) एवं कार्यवाही सहायक निदेशक कृषि (वि.) गांधव पुलिस चैक पोस्ट पर पहुचे। गांधव पुलिस चैक पोस्ट पर पुलिस थानाधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा दोनो ट्रको में भरे डीएपी उर्वरक को यथास्थिति सुरक्षित रखने के लिये थाना परिसर में रखे। दिनांक 13.10.2023 को थाना परिसर गुड़ामालानी में दोनो ट्रको मे भरे डीएपी उर्वरक के बैग को दोनो ट्रको ड्राइवरों एवं खलासी के समक्ष सुरक्षित नीचे उतरवाकर गिनती की गई, तत्पश्चात् उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत गुणवता जांच के लिये दोनो ट्रकों से एक–एक नमूना नियमानुसार आहरित किया गया एवं पुनः ट्रक ड्राइवरों एवं खलासी की उपस्थिति मे सुरक्षित भरवाकर उर्वरक मूवमेंट नियंत्रण आदेश, 1973 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1डी) के तहत सीज कर निर्धारित प्रपत्र में थानाधिकारी गुड़ामालानी की अभिरक्षा मे सुपुर्द करते हुए प्राप्ति रसीद ली। मौके से प्राप्त उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में जब्त किये गए उर्वरक की प्रयोगशाला जॉच उपरान्त राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला पावटा जोधपुर द्वारा रिपोर्ट क्रमांक 853–58 दिनांक 26.10.2023 उपलब्ध करवाई गई जिसमें अंकित किया हैं कि उक्त दोनो नमूने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 रिपोर्ट में The Sample is not According to Specification and Fails in available Phosphorus दर्शाया गया जिससे उर्वरक होने की पुष्टि नहीं हुई है। अतः उपरोक्त वर्णित उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया।

3. अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में लिखित जवाब प्रस्तुत किया कि श्री राजेश कुमार गाडी संख्या आर जे 19 जी जे 4150 का रजिस्टर्ड मालिक है जो कृषि कार्य कर तथा खेती टयुबवैल से सिंचाई कर समस्त आस–पास के लोग जीवकोपार्जन करते है। जिसमें कृषि की पैदावार हेतु डी.ए.पी. खाद का उपयोग किया जाता है। अक्टूबर 2023 को हमारे क्षेत्र मे रबी की फसल बाई हुई थी जिसका पै[illegible] मेरे क्षेत्र के 25–30 किसानों ने अपनी फसल हेतु डी.ए.पी. [illegible]दी। मैने एवं अन्य किसानों ने The Dhanera Ta. Tam[illegible]i. Nenava Shop No. 81 Banas Krushi से kri[illegible]पी. खाद खरीदा जिसके बिल नम्बर GB/93 से GB/119 दिनांक 11.1[illegible]23 प्राप्त किए, जो बिल प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किसान के स्वयं के नाम से खरीदशुदा है जिसकी प्रतियां संलग्न है। मेरे द्वारा किसी प्रकार अवैध परिवहन नहीं कर रहा था, उन किसानों के घरों तक डी.ए.पी. पहुचानें के लिए मेरे ट्रक से परिवहन किया जा रहा था जो कि विधिसंगत था। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र खारिज कर डी.ए.पी. खाद एवं वाहन पुनः अप्रार्थीगण को दिलवाने का श्रम करावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 12.10.2023 को दो ट्रक क्रमशः ट्रक संख्या DD 01 E 9398 के वाहन चालक श्री इकबाल खान पुत्र श्री अब्बास खान एवं खलासी श्री खेते खान पुत्र श्री राणे खान द्वारा अवैध रूप से डीएपी उर्वरक आईपीएल ब्रांड के 350 बैंग एवं ट्रक संख्या RJ 01 GJ 4150 के वाहन चालक श्री हमीद खान पुत्र श्री अदरीम खान एवं खलासी श्री मजीद खान पुत्र श्री अकबर खान द्वारा अवैध रूप से डीएपी उर्वरक कृभको ब्रांड के 500 बैंग परिवहन करते थानाधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा गांधव पुलिस चैक पोस्ट पर ट्रको को रूकवाकर डिटेन किये हुए थे। तत्पश्चात् श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जि.प. बाड़मेर के आदेशानुसार कमेटी का गठन किया गया जिसमें श्री सीताराम बैरवा, कृषि अधिकारी (फसल) एवं कार्यवाही सहायक निदेशक कृषि (वि.) गांधव पुलिस चैक पोस्ट पर पहुचे। गांधव पुलिस चैक पोस्ट पर पुलिस थानाधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा दोनो ट्रको में भरे डीएपी उर्वरक को यथास्थिति सुरक्षित रखने के लिये थाना परिसर में रखे। दिनांक 13.10.2023 को थाना परिसर गुड़ामालानी में दोनो ट्रको मे भरे डीएपी उर्वरक के बैग को दोनो ट्रको ड्राइवरों एवं खलासी के समक्ष सुरक्षित नीचे उतरवाकर गिनती की गई, तत्पश्चात् उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत गुणवता जांच के लिये दोनो ट्रकों से एक–एक नमूना नियमानुसार आहरित किया गया एवं पुनः ट्रक ड्राइवरों एवं खलासी की उपस्थिति मे सुरक्षित भरवाकर उर्वरक मूवमेंट नियंत्रण आदेश, 1973 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1डी) के तहत सीज कर निर्धारित प्रपत्र में थानाधिकारी गुड़ामालानी की अभिरक्षा मे सुपुर्द करते हुए प्राप्ति रसीद ली। मौके से प्राप्त उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में जब्त किये गए उर्वरक की प्रयोगशाला जॉच उपरान्त राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला पावटा जोधपुर द्वारा रिपोर्ट [illegible] 853–58 दिनांक 26.10.2023 उपलब्ध करवाई गई जिसमें [illegible] दोनो नमूने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 रिपोर्ट में The Sample is not According to Specification and Fails in available Phosphorus दर्शाया [illegible] जिससे उर्वरक होने की पुष्टि नहीं हुई है। अतः उपरोक्त वर्णित उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

धारा 6ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में लिखित जवाब प्रस्तुत किया कि श्री राजेश कुमार गाडी संख्या आर जे 19 जी जे 4150 का रजिस्टर्ड मालिक है जो कृषि कार्य कर तथा खेती टयुबवैल से सिंचाई कर समस्त आस–पास के लोग जीवकोपार्जन करते है। जिसमें कृषि की पैदावार हेतु डी.ए.पी. खाद का उपयोग किया जाता है। अक्टूबर 2023 को हमारे क्षेत्र मे रबी की फसल बाई हुई थी जिसका पैदावार बढाने के लिए मैने व मेरे क्षेत्र के 25–30 किसानों ने अपनी फसल हेतु डी.ए.पी. खाद खरीदी। मैने एवं अन्य किसानों ने The Dhanera Ta. Tamku upt. Vech & Rupa. Sah. Ma. Li. Nenava Shop No. 81 Banas Krushi से kribhcco ब्राण्ड का डी.ए.पी. खाद खरीदा जिसके बिल नम्बर GB/93 से GB/119 दिनांक 11.10.2023 प्राप्त किए, जो बिल प्रति किसान के स्वयं के नाम से खरीदशुदा है जिसकी प्रतियां संलग्न है। मेरे द्वारा किसी प्रकार अवैध परिवहन नहीं कर रहा था, उन किसानों के घरों तक डी.ए.पी. पहुचानें के लिए मेरे ट्रक से परिवहन किया जा रहा था जो कि विधिसंगत था। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र खारिज कर डी.ए.पी. खाद एवं वाहन पुनः अप्रार्थीगण को दिलवाने का दिलाई जावे। हमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब का अवलोकन किया जिसमें पाया जाता है कि जब्तशुदा उर्वरक जरिये बिल–बिल्टी परिवहन किये जा रहे थे ऐसे में अवैध परिवहन किया जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में जब्त किये गए उर्वरक की प्रयोगशाला जॉच उपरान्त राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला पावटा जोधपुर द्वारा रिपोर्ट मे डी.ए.पी. खाद में कुल नाइट्रोजन (अमोनियाकल और यूरिया) की न्यूनतम मात्रा 18% की तुलना में 17.64% है जिसमें 0.36% की भिन्नता है तथा फॉस्फारस (P205 के रूप में) न्यूनतम भार 46.0% की तुलना में 44.51% है जिसमें 1.49% की भिन्नता है। इसके साथ ही नमूना विनिर्देशों के अनुसार नहीं होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह [illegible]त्र स्वीकार किया जाकर दो ट्रक DD 01 E 9398 एवं [illegible] डीएपी उर्वरक आईपीएल ब्रांड के 350 बैंग एवं डी[illegible] उर्वरक [illegible]ड के 500 बैंग जो अप्रार्थीगण द्वारा निर्मित को बिना वैध अनुज्ञा पत्र [illegible]डारण एवं विक्रय किया जाना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 14 व 15 एवं आवश्यक वस्तु

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:22 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन होने से धारा 6ए के तहत राजसात किया जाकर प्रार्थी को निर्देशित किया जाता हैं कि इसका नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त होने वाली राशि को राज्य कोष मे नियत मद मे जमा कराई जावें तथा जब्तशुदा वाहन जो परिवहन हेतु उपयोग किये जा रहे थे कब्जा सरकार से मुक्त किया जाकर पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द किये जावें।

6. आदेश आज दिनांक 02.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:45:22 IST
Reason: SelfAttested